<u>प्रेस नोट</u> <u>दिनांक 13.09.2020</u>

<u>सराहनीय कार्य जनपद बागपत।</u>

- **थाना दोघट क्षेत्रान्तर्गत जंगल ग्राम दोघट में हुई युवक की हत्या की घटना का सफल अनावरण, बाद मुठभेड 25–25 हजारी 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 02 तमंचे 315 बोर 02 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस नाजायज बरामद।**

<u>घटना का संक्षिप्त विवरण–</u>

दिनांक 04.09.2020 को दोपहर समय करीब 10:30 बजे थाना दोघट क्षेत्रान्तर्गत सुरेषपाल पुत्र सुखवीर निवासी कस्बा व थाना दोघट की अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गयी। इस सम्बन्ध में मृतक सुरेषपाल उम्र (44 वर्ष) के भाई मांगेराम की लिखित तहरीर के आधार पर थाना दोघट पर मु0अ0सं0 192/2020 धारा 302 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था।

<u>पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–</u>

श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देषन व क्षेत्राधिकारी बडौत के कुषल नेतृत्व में थाना दोघट पुलिस द्वारा आज दिनांक 12.09.2020 को समय करीब 18:15 बजे मुखबिर की सूचना पर दोघट निरपुडा मार्ग से बाद मुठभेड **सुरेषपाल की हत्या की घटना में संलिप्त 25–25 हजार रूपये के ईनामी अभियुक्त 1–गोविन्द पुत्र राजसिंह पंडित उर्फ राजवीर 2–हरीष पुत्र चन्दर निवासी गण पटटी माधान कस्बा व थाना दोघट जनपद बागपत** को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तो के कब्जे से 02 तमंचे 315 बोर 02 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस नाजायज बरामद किये गये। अभियुक्तों के विरूद्व थाना दोघट पर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरण :–</u>

अभियुक्त गोविन्द ने पूछताछ पर बताया कि करीब 02 साल पहले मैने एक केन्टर गाडी नम्बर यूपी 17एटी–6261 खरीदी थी। जिसे मैं व हरीष खुद ही चलाते था। गाडी खरीदने के बाद से ही मृतक बोना उर्फ सुरेषपाल, अमित व भोन्दू मेरे साथ मारपीट करते थे और अपने खर्च के लिये पैसे लेते थे। मृतक बोना उर्फ सुरेषपाल मेरी मुखबिरी अमित से करता रहता था। इस साल जनमष्टमी पर्व से एक दिन पहले मेरी केन्टर गाडी चोरी हो गई थी। मृतक बोना उर्फ सुरेषपाल, अमित व दो व्यक्ति ग्राम जौहडी के द्वारा ही मेरी गाडी चोरी कराई गई थी। भालू पंडित के लडके केषव ने मेरी गाडी को हरियाणा बार्डर कुंडली पर खडी होना बताया था जिसे मै बोना उर्फ सुरेषपाल व अपने दोस्तो के साथ मिलकर अगले दिन घर ले आया था। दिनांक 04.09.2020 को मैं व हरीष षामली से गाडी लेकर आ रहे थे तो कस्बा दोघट के पास अमित व बोना उर्फ सुरेषपाल मिले और इन्होने जबरदस्ती हमसे 4–5 हजार रूपये ले लिये। मै अमित व बोना उर्फ सुरेषपाल से काफी परेषान था। तो मैने सुबह समय करीब 10:30 अपने दोस्त हरीष के साथ मिलकर बोना उर्फ सुरेषपाल की खेत से वापिस आते समय गोली मारकर हत्या कर दी।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता–</u>

1–गोविन्द पुत्र राजसिंह पंडित उर्फ राजवीर निवासी पटटी माधान कस्बा व थाना दोघट जनपद बागपत।

2–हरीष पुत्र चन्दर निवासी पटटी माधान कस्बा व थाना दोघट जनपद बागपत।

<u>बरामदगी का विवरण :–</u>

1–02 तमंचे 315 बोर 02 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस नाजायज बरामद।

- **अभियान के दौरान अवैध षराब की तस्करी करने वाले 16 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 416 लीटर देषी षराब हरियाणा/यूपी प्रदेष मार्का नाजायज बरामद।**

श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय बागपत के निर्देषन में अवैध षराब तस्करों के विरूद्व चलाये जा रहे विषेष अभियान के दौरान–

<u>थाना सिघावली अहीर–</u> पुलिस द्वारा दिनांक 12.09.2020 को थाना क्षेत्र से अभियुक्त 1–अमित पुत्र बिजेन्द्र 2–ब्रजपाल पुत्र हुकमसिंह निवासीगण ग्राम कर्मअलीपुर गढी थाना सि0अहीर 3–बाबर पुत्र जाकिर 4–नाजिम पुत्र इकबाल निवासी ग्राम बसौद थाना सि0अहीर 5–अंकित पुत्र रामपाल 6–मोहित पुत्र रविन्द्र निवासी खिंदोडा थाना सि0अहीर 7–सलीम पुत्र मजहर निवासी ग्राम गौसपुर थाना सि0अहीर 8–साजिद पुत्र हमीमुदीन निवासी ग्राम रोषनगढ थाना बालैनी 9–उस्मान पुत्र गफूर निवासी ग्राम गौसपुर थाना सि0अहीर 10–अलीमुदीन पुत्र बसीर निवासी ग्राम रोषनगढ थाना बालैनी जनपद बागपत को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों के कब्जे से क्रमष– 1–अमित से 21 पव्वे 2–ब्रजपाल से 24 पव्वे 3–बाबर से 18 पव्वे 4–नाजिम से 20 पव्वे 5–अंकित व 6–मोहित से 30 पेटी 7–सलीम व 8–साजिद से 36 पव्वे 9–उस्मान व 10–अलीमुदीन से 32 पव्वे देषीष्षराब यूपी/हरियाणा मार्का नाजायज बरामद की गई है। अभियुक्तों के विरूद्व थाना सि0अहीर पर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>थाना रमाला–</u> पुलिस द्वारा दिनांक 12.09.2020 को कासिमपुर खेडी से अभियुक्त 1–मंजित पुत्र नत्थू निवासी सिसौली थाना भौराकलां जनपद मु0नगर को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के कब्जे से एक मोटरसाईकिल पैषन प्रो0 नम्बर–उचआर 06 एवाई–7924 मय 03 पेटी देषीष्षराब हरियाणा मार्का नाजायज बरामद की गई है। अभियुक्तों के विरूद्व थाना रमाला पर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>थाना खेकडा–</u> पुलिस द्वारा दिनांक 12.09.2020 को थाना क्षेत्र से अभियुक्त 1–विजय पुत्र बलजीत निवासी ग्राम गौठरा थाना खेकडा 2–नवीन पुत्र नरेष निवासी कस्बा खेकडा जनपद बागपत को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तो के कब्जे क्रमषः 1–विजय से 48 पव्वे 2–नवीन से 50 पव्वा देषी षराब हरियाणा मार्का नाजायज बरामद की गई है। अभियुक्तों के विरूद्व थाना खेकडा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>थाना छपरौली–</u> पुलिस द्वारा आज दिनांक 12.09.2020 को थाना क्षेत्र से अभियुक्त 1–नीरज पुत्र रामपाल निवासी ओढापुर थाना छपरौली 2–सागर पुत्र भूरू निवासी ग्राम सिनौली थाना छपरौली जनपद बागपत को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों के कब्जे से 02–02 पेटी देषी षराब यूपी मार्का नाजायज बरामद की गई है। अभियुक्तों के विरूद्व थाना छपरौली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>थाना कोतवाली बागपत–</u> पुलिस द्वारा दिनांक 12.09.2020 को थाना क्षेत्र से अभियुक्त 1–सौरभ पुत्र साविन्द्र निवासी बाघू थाना कोतवाली बागपत को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के कब्जे से 48 पव्वा देषी षराब बरामद की गई। व एक मोटरसाईकिल पैषन प्रो0 नम्बर डीएल–5एसए–6638 मय 144 पव्वे देषी षराब यूपी मार्का नाजायज को अभियुक्तो द्वारा पकडे जाने के डर से छोडकर भाग गये है। अभियुक्तों के विरूद्व थाना कोतवाली बागपत पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

- **थाना खेकडा का टॉप–10/हिस्ट्रीशीटर अपराधी गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर मय कारतूस बरामद।**

थाना खेकडा–पुलिस द्वारा थाना हाजा का टॉप–10 सूची का चिन्हित अपराधी व प्रचलित हिस्ट्रीशीटर को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। आज दिनांक 13.09.2020 को नहर पुलिया फकरपुर पटरी से रोड से अभियुक्त हरेन्द्र उर्फ हरिया पुत्र महेन्द्र निवासी पटटी रामपुर थाना खेकडा जनपद बागपत को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के कब्जे से **01 तमंचा 315 बोर 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस बरामद** किया गया है। अभियुक्त के विरूद्व थाना खेकडा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

1 हरेन्द्र उर्फ हरिया पुत्र महेन्द्र निवासी पटटी रामपुर थाना खेकडा जनपद बागपत

बरामदगी का विवरण :–

1–01 तमंचा 315 बोर 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस बरामद।

- **जुआ अधिनियम के अर्न्तगत 04 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से पर्चा सटटा व 4170 रूपये नगद बरामद।**

थाना सिंघावली अहीर– पुलिस द्वारा दिनांक 12.09.2020 को ग्राम गौसपुर से अभियुक्त 1–सलीम पुत्र मजहर 2–उस्मान पुत्र गफूर निवासी ग्राम गौसपुर थाना सि0अहीर 3–साजिद पुत्र हमीमुदीन 4–अल्लानूर पुत्र बसीर निवासी ग्राम रोषनगढ थाना बालैनी जनपद बागपत को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के कब्जे से पर्चा सटटा व 4170 रूपये नगद बरामद किये गये।

- **षस्त्र अधिनियम के अर्न्तगत 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा 04 जिन्दा कारतूस नाजायज बरामद।**

थाना बिनौली– पुलिस द्वारा दिनांक 12.09.2020 को ग्राम अंगदपुर से अभियुक्त अरूण पुत्र रामनरेष निवासी ग्राम अंगदपुर थाना बिनौली जनपद बागपत को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के कब्जे से **01 तमंचा 04 जिन्दा कारतूस** नाजायज बरामद किया गया।